राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांकः- एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मार्गदर्शिका/2019 जयपुर, दिनांक : 9 DEC 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना वार्षिक मास्टर परिपत्र 2020-21 के बिन्दु संख्या 4.3.3 में रोजगार हेतु पंजीकरण एवं आवेदन प्राप्त करने के माध्यमों यथा फार्म-6, आई.वी.आर.एस., कॉल सेन्टर, ऑनलाईन आवेदन एवं मौखिक आवेदन इत्यादि का उल्लेख है। इस बिन्दु में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि उक्त सभी माध्यमों से प्राप्त आवेदन रोजगार हेतु वैध (valid) माने जाएंगे, जिन पर रोजगार दिया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम वस्तुतः ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को काम प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराता है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 7 (1) के **अनुसार "यदि स्कीम के अधीन नियोजन के लिए किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति के या उस तारीख से जिसको किसी अग्रिम आवेदन की दशा में नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, पंद्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह इस धारा के अनुसार एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा"।**

उक्त अधिनियम में विद्यमान संदर्भित धारा के अनुसार निम्न बिन्दु परिलक्षित होते हैं-

1. यदि किसी श्रमिक ने आवेदन में काम के लिए अवधि या तिथि का अंकन किया है, तो उस तिथि से 15 दिवस में उसे रोजगार दिया जाना आवश्यक होगा।

2. जहां इस प्रकार का अंकन नहीं है, वहां किसी आवेदक को नियोजन चाहने वाले उसके आवेदन की प्राप्ति दिनांक के पंद्रह दिन के भीतर ऐसा नियोजन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

3. इस प्रकार नियोजन उपलब्ध न कराने पर वह श्रमिक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

सामान्य स्थिति में आवेदन के 15 दिवस में श्रमिक को नियोजन उपलब्ध कराया जाना है और यदि उसने पूर्व तिथि अंकित की हो, तो उस तिथि के 15 दिवस के भीतर उसे नियोजन उपलब्ध कराया जाये। यदि ऐसा नहीं होता तो "**इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो**", यह कहने का कोई औचित्य नहीं होता।